झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08/ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची–02/2007 ..../राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री महादेव कुम्हार, सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में वर्ष 2003–04 में स्वीकृत माईक्रोलिफ्ट योजना में बरती गई अनियमिता के लिए विभागीय पत्रांक– 2073 दिनांक– 02.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई थी।

2. श्री कुम्हार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती (05) पाँच वर्षों तक करने के दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 2073 दिनांक–02.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री कुम्हार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा एकमात्र भुगतान चालू विपत्र के माध्यम से जरीडीह प्रखण्ड स्थित तीन योजनाओं में किया गया है, जिससे स्पष्ट है वे कि योजना से संबद्ध रहे हैं। उड़नदस्ता जाँच में ये योजनाएँ कार्यरत नहीं पाई गई तथा निर्माण घटिया स्तर का पाया गया। श्री कुम्हार द्वारा द्वितीय पृच्छा में कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है।

3. अतएव, सम्यक् समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रस्तावित दण्ड पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती (05) पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ....273........................ राँची/दिनांक 15/01/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार,(लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची–834001/उप सचिव, प्रबंधन, प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री महादेव कुम्हार, सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रा०+पो०–लकड़का, भाया–कतरास, जिला–धनबाद, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

15/01/19
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव